दलित महिलाओं के प्रति हिंसा : उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ जिलों का एक वैयक्तिक अध्ययन

[Violence against Dalit women : A Case Study of Lucknow and Azamgarh Districts of Uttar Pradesh]

शोध–सारांश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विषय में पीएच0डी0 उपाधि हेतु

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

शोधार्थी

राहुल कुमार यादव

नामांकन सं0–1269/16

शोध निर्देशक

आचार्य जया श्रीवास्तव

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, भारत

2022

शोध–सारांश

प्रस्तावना

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा, तत्कालीन अकादमिक विमर्श में अत्यंत ही ज्वलंत मुद्दा है।राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, ... ''दलित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के सन्दर्भ में कहा गया कि प्रमुख जाति के अपराधी अपना अधिकार स्थापित करने और समुदाय को अपमानित करने के लिए दलित महिलाओं के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का प्रयास करते हैं'' (N.C.W, 1996)।इसके अलावा, जब वे जातिगत मानदंडों का उल्लंघन जैसे कि प्रथागत निर्धारित जाति सगोत्र विवाह या अस्पृश्यता प्रथाओं कों या संसाधनों या सार्वजनिक स्थानों पर अपने अधिकारों का दावा करती हैं, तो उन पर हिंसा की जाती है। दलित महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में हाशिए पर रहती हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीतिक भागीदारी, व्यवसाय, मजदूरी, संपत्ति, सामाजिक गतिशीलता व न्याय तक पहुंच। दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं की दर बहुत अधिक हैं तथा दलित महिलाएं वशेष रूप सेयौन और जाति–आधारित हिंसा की दोहरी प्रकृति से ग्रसित हैं (Shrivastava, 2013)।

अध्ययन का औचित्य(Rationale of the Study):–यही कारण है कि इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की दलित महिलाओं पर हुए विभिन्न प्रकार के हिंसा का विश्लेषण करना निर्धारित किया गया हैं। सभी समुदायों की अधिकांश महिलाएं हिंसा से ग्रसित हैं, लेकिन दलित महिलाओं को उनकी निम्न सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हिंसा के विभिन्न स्वरूपों का सामना करना पड़ता हैं।

शोध उद्देश्यः–

- लखनऊ और आज़मगढ़ जिलें की दलित महिलाओं पर हुए हिंसा के विभिन्न स्वरूपो की जाँच करना।

- जाति, वर्ग और पितृसत्ता के अन्तः विभाजन के आधार पर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के परिमाण की जाँच करना।
- दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के मुख्य कारणो को जानना (महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों की सापेक्षिक प्राथमिकता का निर्धारण करना)
- सार्वजनिक एवं निजी(व्यक्तिगत) स्थानों मे दलित महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रकृति का मूल्यांकन करना (पारिवारिक क्षेत्र के बाहर अजनबियों द्वारा की गयी हिंसा)।
- दलित वर्ग के अन्दर दलित महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा की प्रकृति को जानना।
- दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने या कम करने के लिए बनायी गयी नीतियों का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पनाः–

- लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की दलित महिलाओं पर हुए हिंसा के विभिन्न एवं विविध स्वरूप है।
- दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के परिमाण की अधिकता जाति, वर्ग और पितृसत्ता के अंतःविभाजन के कारण है।
- सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का असमान वितरण एवं आर्थिक पिछड़ापन दलित महिलाओं के हिंसा के मुख्य कारण हैं।
- सार्वजनिक और निजी(व्यक्तिगत) दोनो क्षेत्रों में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रकृति भिन्न हैं।
- दलित वर्ग के अन्दर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के स्तरो मे भिन्नता हैं।
- दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने या कम करने के लिए वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की आवश्यकता हैं।

क्रियाविधि

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा पर केंद्रित इस अध्ययन में व्यवस्थात्मक–संरचनात्मक (सामजिक–सांस्कृतिक) तथा घटनापरक (महिलाओं के दैनिक जीवन में हिंसा संबंधित अनुभव) आयाम शामिल हैं। प्रस्तुत शोध की उत्तरदातायें उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ जिले की दलितमहिलाये है।

अध्ययन का समग्र

प्रस्तुत अध्ययन के समग्र में लखनऊ जिले में दलित महिलाओं की कुल 4,49,495संख्या है तथा प्रतिशत में 20.5%है और आज़मगढ़ जिले में दलित महिलाओं की कुल 591,792 संख्याहै। लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की कुल दलित विवाहित तथा अविवाहित, तलाकसुदा, एकल, परित्यक्तमहिलाओं को शामिल किया गया है प्रस्तुत शोध में ऐसे उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। शोधार्थी ने अपने शोध के लिए उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिलों लखनऊ और आजमगढ़ को लिया है। इन दोनो जिलो में कई खण्ड (Block) है जैसे लखनऊ जिले में कुल 8 खण्ड है और आजमगढ़ जिले में कुल 22 खण्ड है।

अध्ययन की जनसंख्या

शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश के 2 जिले का चयन किया है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के लिए असंभाव्यता प्रतिचयन का प्रयोग किया है। शोधकर्ता ने सुविधापरक सैम्पलिंग के माध्यम से इन 2 जिलों का चयन किया है।शोधकर्ता ने प्रत्येक जिले से 1–1 ब्लॉक को सोद्देश्य सैंपलिंग के माध्यम से लिया है। दलित महिलाओं के प्रति हिंसा का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता ने लखनऊ जिले के सरोजनी नगर ब्लॉक और आजमगढ़ जिले के जहानगंज ब्लॉक को चुना है।

अध्ययन का क्षेत्र

शोधार्थी ने सुविधा निदर्शन विधि का उपयोग करके नमूना तैयार किया है। अध्ययन के नमूने में लखनऊ जिले के आशियाना क्षेत्र की दलित महिलाएं और आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र की दलित महिलाएं शामिल हैं। पर्याप्त

प्रतिनिधित्व देने के लिए, उत्तरदाताओं को न केवल विभिन्न इलाकों से बल्कि विभिन्न आयु–समूहों, शैक्षिक योग्यता और आर्थिक पृष्ठभूमि से भी उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।दलित महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा को जानने के लिएशोधकर्ता ने 300 उत्तरदाताओं का चयन किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से 150 उत्तरदाताओं और आजमगढ़ जिले से 150 उत्तरदाताओं का चयन किया है।

निदर्षन तथा तथ्य संग्रहण की प्रविधि :

अध्ययन में सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है जिससे दलित महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के बारे में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी है।अध्ययन के लिए चुनी गई नमूना तकनीक में स्तरीकृत निदर्शन शामिल है क्योंकि ये परिणामों को अधिक कुशल बनाता है। शोधकर्ता ने सभी प्रतिभागियों को अध्ययन में भाग लेने के लिए समान अवसर देकर सरल यादृ च्छिक निदर्शन का भी उपयोग किया।

तथ्य संग्रहण के स्त्रोत एवं उपकरण : प्रस्तुत शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोंतो से तथ्यों का संग्रह के लिए क्षेत्र के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की आधिकारिक सूची और गैर दर्ज मामले तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा की घटनाओं का संग्रह किया है। इसके अतिरिक्त शोध–विषय से संबंधित संगतिपूर्ण लेख, पुस्तकें, समाचार पत्र और वेबसाइटों का प्रयोग किया है। प्राथमिक तथ्यों के संग्रह हेतु अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं के लिएं प्रश्नावली/साक्षात्कार सूची तथा गहन साक्षात्कार विधि के लिए (साक्षात्कार निर्देशिका) का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण : इस अध्ययन में एकत्रित की गयी सूचनाओं में से परिमाणात्मक तथ्यों काSPSSका प्रयोग कर विश्लेषण किया गया, जिसे सारणी एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं साथ ही कुछ गुणात्मक तथ्यों का विवरण परिमाणात्मक तथ्यों के साथ–साथ शामिल करके विश्लेषण को और स्पष्ट किया गया हैं।

अध्ययन के अनुसंधान डिजाइन

अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए, प्रस्तुत शोध का अभिकल्प वर्णनात्मक हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन एक वैज्ञानिक पद्यति है जिसमे किसी भी विषय को प्रभावित किए बिना किसी विषय के व्यवहार को देखना और वर्णन करना शामिल है।प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। जिसका उद्देश्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा का अध्ययन करना है। इस शोध प्ररचना के द्वारा अध्ययन विषय के संबंध में वास्तविक तथ्यों का संकलन किया गया है और उनके आधार पर वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह शोध डिजाइन आंकड़ों को खोजने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा का उपयोग करने का अवसर देता है।

अध्याय योजना :शोधार्थी ने प्रस्तुतशोध अध्ययन को कुल आठ अध्यायों में विभाजित किया है तथा संदर्भित पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों की सूची ग्रंथ तैयार की गई है जो वर्णानुक्रम के अनुसार अंत में दी गई है।

पहला अध्याय *''प्रस्तावना''* से संबंधित है जिसमें दलित का अर्थ, महिलाओं में , भारत में दलित महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति, दलित महिलाओं के प्रति किए गए व्यवहार, समस्या कथन, अध्ययन का औचित्य, साहित्य की समीक्षा, शोध उद्देश्य, शोध परिकल्पना, शोध क्रियाविधि (इसके अर्न्तगत शोध प्ररचना, अध्ययन का समग्र, पायलट सर्वे, तथ्य संग्रह के स्त्रोत एवं उपकरण, तथ्यों का विश्लेषणय, अध्ययन की अनुसंधान डिजाइन, अध्ययन का क्षेत्र, प्रतिदर्श ईकाई), अध्याय योजना और संदर्भ शामिल है।

दूसरा अध्याय *'दलित महिलाओं के प्रति हिंसा केसंकल्पनात्मक और सैद्धांतिक ढ़ाचा'* और उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में सिद्धांतों की समीक्षा प्रदान करता है।यह अध्याय मुख्यतः दो भागो में विभाजित है प्रथम भाग में शोध अध्याय से सम्बन्धित संकल्पनात्मक ढाचें को शामिल किया गया है तथा द्वितीय भाग में शोध अध्ययन से संबंधित सिद्धांत दिए गए है।संकल्पनात्मक ढाचें के अर्न्तगत महिला, हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा, दलित महिलाओं के प्रति हिंसा, पितृसत्ता, घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक

हिंसा, आर्थिक हिंसा, जेंडर, आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे दूसरे भाग में हिंसा को बढ़ाने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदण्ड, हिंसा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, हिंसा का सामाजिक निर्माण सिद्धांत और निष्कर्ष शामिल है।

तीसरा अध्याय ***'उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ जिले की दलित महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि'*** है जिसके अर्न्तगत दलित महिला उत्तरदाताओं की उम्र, उनके पारिवारिक व्यवसाय, वैवाहिक प्रस्थिति, शैक्षणिक प्रस्थिति तथा उनके परिवार की वार्षिक आय को शामिल किया है।

चौथा अध्याय ***'जाति, वर्ग और पितृसत्ता के आधार पर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रचलित रूप, हिंसा के कारण और परिणाम : लखनऊ और आजमगढ़ जिले का एक आनुभविक अध्ययन' हैं।*** इस अध्याय के अर्न्तगत प्रस्तावना, महिलाओं के प्रति हिंसा, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, हिंसा के अपराधकर्त्ता, महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा, घरेलू हिंसा (शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, वित्तीय दुर्व्यवहार और यौन हिंसा), बलात्कार एवं यौन हमला, वेश्यावृत्ति और तस्करी, महिला जननांग अंगभंग, बलात् विवाह, यौन उत्पीड़न, महिलाओं में दलितता, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदण्ड, विभिन्न प्रकार की हिंसा का समर्थन करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक मानदण्ड (बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, यौन हिंसा), दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारण, दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में योगदान देने वाले कारक, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, समाज के बुनीयदी ढ़ाचे तक सीमित पहुॅच, पीड़िता द्वारा भड़काना, नशा, परिस्थिति वश प्रेरणा, व्यक्तित्व विशेषताएं, हिंसा के कारण कारक (सामान्य समुदाय में हिंसा, परिवार में हिंसा), दलित महिलाओं की मुख्य चुनौतियां (प्रमुख उत्पीदन साधनो तक कम पहुंच, अशिक्षा, राजनीतिक भागीदारी), हिंसा के प्रभाव, क्षेत्र अध्ययन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल है।

पाचवॉं अध्याय ***'दलित महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक आनुभाविक अध्ययन'*** है इस अध्याय के अर्न्तगत प्रस्तावना, घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा के प्रकार (शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा, हिंसा और हानि करने की धमकी, सम्पत्ति या पालतू

जानवरों के विरूद्ध हमले और डराने धमकाने के अन्य कार्य, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, आर्थिक तंत्र का उपयोग), घरेलू हिंसा के कारण (सिखे हुए व्यवहार के रूप में घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा और जेंडर, घरेलू हिंसा और सांस्कृतिक मुद्दे, घरेलू हिंसा बनाम बीमारी आधारित हिंसा), पितृसत्तात्मकता, गरीबी, धरेलू हिंसा के प्रभाव, घरेलू हिंसा से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण और निष्कर्ष को शामिल किया गया है।

छठा अध्याय '*सार्वजनिक और निजी स्थानों में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा* है। इसके अर्न्तगत अध्याय की प्रस्तावना, सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव, दलित महिला और राजनीतिक नेतृत्व, प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष आदि को शामिल किया गया है।

सातवाँ अध्याय '***दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के रोकथाम के लिए बनाएं गए संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान*** है इस अध्याय के अर्न्तगत दलित महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए बनाए गए संवैधानिक व कानूनी प्रावधान तथा इन प्रावधानों के प्रभाव, प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण और निष्कर्ष को शामिल किया गया है।

आठवा अध्याय ***'परिणाम, निष्कर्ष और सुझाव*** है। जिसके अर्न्तगत पूरे शोध कार्य के परिणामए, निष्कर्ष और सुझाव दिया गया है।

अध्याय : 2दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के संकल्पनात्मक औंर सैद्धांतिक ढांचा

सैद्धांतिक और वैचारिक ढांचा एक शोध के मार्ग की व्याख्या करता है और इसे सैद्धांतिक निर्माणों में मजबूती से आधार प्रदान करता है। इन दो रूपरेखाओं का समग्र उद्देश्य अनुसंधान के निष्कर्षों को अधिक सार्थक बनाना है तथा यह अनुसंधान क्षेत्र में सैद्धांतिक निर्माण के लिए मार्ग प्रदान करती है और सामान्यीकरण सुनिश्चित करते है। यह अनुसंधान जांच को दिशा और प्रोत्साहन दोनों प्रदान करके ज्ञान के विस्तार को सुनिश्चित करते हुए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायता करते हैं।

अध्याय : 3 उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ जिले की दलित महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमिअध्ययन को गहराई से समझने के लिए उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विशेष परिवार, क्षेत्र और धार्मिक आस्था में व्यक्ति का जन्म न केवल उसके जीवन के अवसरों को निर्धारित करता है बल्कि उसे सामाजिक वास्तविकता का सामना करने के लिए जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रस्थिति या वर्ग है। समाज में एक व्यक्ति की भूमिका और समाज में उसका योगदान उसकी सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है।यह अध्याय उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय, सामाजिक–आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है। उपरोक्त तालिकाओं और ग्राफ से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताएं 18–30 वर्ष के आयु वर्ग की हैं जिसमें ज्यादातर उत्तरदाताएं प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं और अधिकांश उत्तरदाता आर्थिक रूप से कमजोर है और वो दैनिक मजदूरी और सामयिक रोजगार करती है। आगे तालिका और चित्र का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ज्यादातर दलित महिला अत्तरदाताओं की पारिवारिक आय 100000रू0 से कम है जोकि दलित महिलाओं की कमजोर आर्थिक प्रस्थिति को दर्शाता है।

अध्याय : 4 जाति, वर्ग और पितृसत्ता के आधार पर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रचलित रूप, हिंसा के कारण और परिणाम : लखनऊ और आजमगढ़ जिले का एक आनुभविक अध्ययन

दलित महिलाएं आज भी जाति, वर्ग और पितृसत्ता के आधार पर विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। जैसा कि ज्यादातर 56.3%दलित महिलाओंने कहा कि उनके साथ हिंसा हुयी है तथा इन महिलाओं में आजमगढ़ की अपेक्षा लखनऊ जिले की दलित महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है जिसमें से एक–चौथाई से ज्यादा28.7%दलित महिलाओं के साथ सभी प्रकार (जैसे मौखिक, शारीरिक, यौन, मानसिक आदि) की हिंसा हुयी है तथा इन महिलाओं में लखनऊ जिले की अपेक्षा आजमगढ़ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। मौखिक हिंसा की घटनाओं में ज्यादातर 26.7%दलित महिलाओंके साथ सभी प्रकार की मौखिक हिंसा

कीघटना जैसे मजाक उड़ाना या गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, लड़का न होने के लिए अपमानित करना, लड़का न होने पर ताना देना, दहेज़ के सवाल पर अपमानित करना आदि कर सामना करना पड़ता है। वहीं शारीरिक हिंसा की बात करे तो एक–तिहाई से ज्यादा 36.3% दलित महिलाओं को सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा जैसे–मारपीट करना या थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, किसी और तरीके से शारीरिक क्षति पहुँचानाआदि का सामना करना पड़ता है।यौन हिंसा की घटनाओं में ज्यादातर 46.7% दलित महिलाओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि दलित महिलाएं अपने साथ हुए यौन हिंसा की घटनाओं के अनुभवों को साझा नहीं करना चाहती जबकि मानसिक हिंसा की बात करे तो एक–तिहाई से ज्यादा दलित महिलाओं ने स्वीकार्य किया कि उनके साथ मानसिक हिंसा की सभी घटनाएं जैसे–मानसिक या मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक हिंसा में निम्नलिखित में से आपके साथ क्या हुआ– स्कूल, कालेज, किसी संस्थान में जाने से रोकना, नौकरी करने से रोकना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, महिला को घर से बाहर जाने से रोकना, इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मजबूर करना, हत्या/आत्महत्या करने की धमकी देना आदि का सामना करना पड़ा।

आगे जब दलित महिलाओं से उनके साथ हुयी हिंसा के कारणों के बारे में पुछने पर कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक दलित महिला उत्तरदाताओं ने उपरोक्त में से सभी कारणों (जैसे–जाति प्रथा को, वर्ग व्यवस्था को, समाज की पितृसत्तात्मक सोच को, अपने जेंडर को) को अपने साथ हुयी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कुल दलित महिलाओं में से लगभग तीन–चौथाई दलित महिलाओं ने अपने साथ हिंसा एवं भेदभाव के स्थानों में अपने घर में और घर के बाहर दोनो स्थानों को दोषी ठहराया।

अत : उपरोक्त परिणामों के आधार पर पता चलता है कि आज भी लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की ज्यादातर दलित महिलाएं हिंसा के विभिन्न स्वरूपों से ग्रसित है। जिसमें लखनऊ जिले की दलित महिलाओं की अपेक्षा आजमगढ़ की दलित महिलाएं हिंसा के विभिन्न स्वरूपों से ज्यादा ग्रसित है।

अध्याय : 5 दलित महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक आनुभाविक अध्ययन

इस अध्याय के प्राथमिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दलित महिलाएं वर्तमान समय में समाज में अन्य जाति व वर्ग की महिलाओं के समान विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा से ग्रसित है। जैसा कि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से45.3%दलित महिला उत्तरदाताओं के साथ घरेलू हिंसा हुई जिसमें एक तिहाई से ज्यादातर महिलाओं ने घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों जैसे– मौखिक, शारीरिक, यौन, आर्थिक, मानसिक आदिहिंसा से पीड़ित है तथा दलित महिलाओं ने उनके साथ घरेलू हिंसा किसने की इस संदर्भ में उत्तर नहीं दिया, जबकि ज्यादातर दलित महिलाएं यह मानती है कि उनके माता–पिता, भाई–बहन, चाचा–चाची, दादा–दादी, पति, सास–ससुर आदि के द्वारा उनपर घरेलू हिंसा की जाती है तथा दलित महिलाओं से जब पुछा गया कि उनपर उनके ससुराल वालों में से किसने सबसे ज्यादा हिसा कि तो कुल दलित महिलाओं में से लगभग आधे से अधिक दलित महिला उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उनके साथ घरेलू हिंसा होने के जिम्मेदार कारणों में जैसे–दहेज के कारण, पति की बात न मानने के कारण, ससुराल के अन्य सदस्यों की बात न मानने के कारण में लगभग आधी दलित महिला उत्तरदाताओं ने सभी कारणों को जिम्मेदार माना तथा कुल दलित महिला उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पुछने पर की उन्होनें घरेलू हिंसा की शिकायत कहां की तो अधिकतर 62.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योकि वो इस बात को बताने से डर रहीं थी कि अगर उन्होने ये बता दिया तो वो कहीं किसी और मुसीबत में न फस जाएं और जब शोधार्थी ने पुछा कि क्या उन्होने घरेलू हिंसा की शिकायत पुलित में की तो लगभग तीन–चौथाई दलित महिलाओं ने कहां कि उन्होने घरेलू हिंसा की शिकायत पुलिस में नहीं की इससे पता चलता है कि दलित महिलाओं को या तो पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है या फिर उनके अन्दर पुलिस या अपने परिवार वालों के विरूद्व घरेलू हिंसा की शिकायत करने से उत्पनन हिंसा के डर से उन्हानें पुलिस में शिकायत नहीं की तथा आगें जब उन्होनें घरेलू हिंया की शिकायत अपने परिवार के अन्य सदस्यों से की तो लगभग आधे से अधिक दलित महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवार वालों ने घरेलू हिंसा के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया।

अत : उपरोक्त परिणामों के आधार पर पता चलता है कि आज भी लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की ज्यादातर दलित महिलाएं घरेलू हिंसा और घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों से ग्रसित है। जिसमें लखनऊ जिले की दलित महिलाओं की अपेक्षा आजमगढ़ की दलित महिलाएं घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों से ज्यादा ग्रसित है।

अध्याय :6 सार्वजनिक और निजी स्थानों में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा

दलित महिलाओं के ग्राम प्रधान (प्रधानी) के चुनाव लड़ने का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से तो अधिकतर 49.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है दलित महिलाओं के ग्राम प्रधान (प्रधानी) के चुनाव लड़ने की कोशिश करने का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 37.3% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनको उनकी जाति के पुरूष/महिला सदस्यों ने रोका राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागेदारी या कम वरियता दी जाती हैं? के प्रश्न पर कुल दलित महिलाओं में से अधिकतर 54.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का असमान वितरण दलित महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण हैं? के प्रश्न पर जिले की कुल दलित महिलाओं में से अधिकतर 59.0%दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे नहीं मानती है कि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का असमान वितरण दलित महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का असमान वितरण दलित महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण हैं? के प्रश्न पर कुल दलित महिला उत्तरदाताओं 100% में से अधिकतर 59.0% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है तथा इन महिलाओं में लखनऊ की अपेक्षा आजमगढ़ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 70.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ हिंसा और भेदभाव कहा–कहा हुयी है के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है अतः उपरोक्त सारणी एवं चित्र संख्या 6.7 के अवलोकन से पता चलता है कि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 49.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने

कहा कि उनके साथ हिंसा और भेदभाव करने वालो में उनके पति शामिल थे दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 48.3% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ हिंसा करने वालो में उनकी जाति की महिला सदस्य शामिल थी दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 48.3% दलित महिला उत्तरदाताओं ने अपने साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में उत्तर नहीं देना चाहती है दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 42.0% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न उनके वरिष्ठ अधिकारी ने किया दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 75.3% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि अब तक उनके ऊपर हिंसा कितनी बार हुयी है इस प्रश्न का वो उत्तर नहीं देना चाहती है दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 32.3% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके ऊपर सबसे ज्यादाबार हिंसा उपरोक्त में से सभी के द्वारा की गयी है जब दलित महिलाओं से पुछाा गया कि क्या उन्हे शिक्षा प्राप्त करने से कभी रोका गया? तो कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 70.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है जब दलित महिलाओं से पुछाा गया कि यदि शिक्षा प्राप्त करने से आपको रोका गया तो आपको किसने रोका? तो कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 20.3%दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उपरोक्त में से सभी के द्वारा उन्हे रोका गया कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 63.0%दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है जब दलित महिलाओं से पुछा गया कि यदि आपको अपने घर में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होने का क्या कारण है? तो कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 39.0% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उपरोक्त में से सभी के कारण उन्हे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 35.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ उनके घर में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के रोकथाम के लिए बनाएं गए संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानमहिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत सारे कानूनी

और संवैधानिक प्रावधान बनाए है जिससे महिलाओं विरूद्ध हिंसा को बहुत हद तक रोका गया है। प्रस्तुत अध्याय में शोधार्थी ने दलित महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रवधानो का इस अध्याय में वर्णन किया गया है इस प्रस्तुत अध्याय को दो भागों में बाटा गया है जिसका पहला भाग संवैधानिक प्रावधान है और दूसरा कानूनी प्रावधान है।

दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने बहुत सारे कानूनी प्रावधान किया है इन प्रावधानों ने काफी हद तक दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने व उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है।अधिकारों की सुरक्षा और दलित समुदाय और महिलाओं को शामिल करने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतियों, कानून और संवैधानिक संशोधनों के बावजूद, जमीन पर वास्तविकता यह दर्शाती है कि परिवर्तन नहीं हुआ है। दलित समुदाय की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में परिकल्पित सीमा तक सुधार नहीं हुआ है।

दलित समुदाय और विशेष रूप से दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दे पर लखनऊ और आजमगढ़ जिले में शोधार्थी के शोध ने इस बात को उजागर किया है कि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर 60.7% दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम 2013 के बारे में नहीं जानती हैतथा अधिकतर 55.7%दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो दहेज निरोधक अधिनियत 1961 के बारे में नहीं जानती है और कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक लगभगदलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में 15% आरक्षण के बारे में नहीं जानती है, कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिकदलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो भारतीय दण्ड संहिता 1860 के बारे में नहीं जानती है इसी प्रकार कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिकदलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो क्रिमिनल कानून 2013 के बारे में नहीं जानती है जबकि कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग एक–तिहाई से अधिकदलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो घरेलु हिंसा अधिनियत 2005 के बारे

में जानती है तथा कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर लगभग एक–तिहाई से ज्यादा 35.0%दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1978 के बारे में जानती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि कुल दलित महिलाओं में से अधिकतर दलित महिलाएं ऐसी है जिन्हे उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी नहीं है आगे जब दलित महिलाओं से पुछाा गया कि क्या उन्होनें इन कानूनों का कभी प्रयोग किया है तों कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग तिन–चौथाई दलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होने कभी इन अधिनियमों का प्रयोग नहीं किया तथा जब दलित महिलाओं से प्रश्न पुछा गया कि आपने इन अधिनियम (कानूनों) का प्रयोग क्यो नहीं किया तो कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से ज्यादादलित महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हे इन कानूनो की जानकारी नहीं थीतथा कुल दलित महिलाओं में लखनऊ और आजमगढ़ दोनों जिलों की दलित महिलाएं शामिल है जिन्हें कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है और जिन्होनें इन कानूनों का कभी प्रयोग नहीं किया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के दो चयनित जिलों, लखनऊ और आजमगढ़ की दलित महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित निष्कर्षों, परिणामों को दर्शाया है। शोधार्थी ने अपने शोध में पाया कि लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की शिक्षित और अशिक्षित दोनो प्रकार की दलित महिलाएं आज भी हिंसा और हिसा के विभिन्न स्वरूपों से ग्रसित है। अध्ययन से पता चलता है कि दलित महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसा उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति और अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता की कमी से अत्यधिक प्रभावित है। उनकी अत्यधिक गरीबी उन्हें उच्च और पिछड़ी जातियों के स्वामित्व वाले स्थानों में काम करने के लिए मजबूर करती है तथा उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण सभी प्रकार की हिंसा को सहन करना पड़ता हैं। शोधार्थी ने हिंसा,घरेलू हिंसा, हिंसा के विभिन्न स्वरूपों, पितृसत्ता, जेंडर, जाति आदि संकल्पनात्मक ढ़ाचों साथ ही साथ शोध से संबंधित कुछ सिद्धांतों को जैसे–सामाजिक असमानता सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, संसाधन

सिद्धांत, सामाजिक–सास्कुतिक सिद्धांत, पित्तसत्तामक सिद्धांत आदि का प्रयोग किया है जो शोध के उद्देश्यों को अर्जित करने में सहयोग देता है।

इस अध्ययन में शोध अध्ययन के निष्कर्षों का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों के आधार पर विवरण दिया गया है। अध्ययन के परिकल्पनाओं के सापेक्ष्य यह निष्कर्ष लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के अध्ययन से संबंधित है। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में काफी अध्ययन हुएं है लेकिन दलित महिलाओं के प्रति हिंसा पर अध्ययन की अत्यन्त कमी है। अतः इस अध्याय में दलित महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधित विवरण विशेषकर महत्वपूर्ण है।

- इस शोध अध्ययन का पहली उपकल्पनाहै''**लखनऊ और आजमगढ़ जिलों की दलित महिलाओं पर हुए हिंसा के विभिन्न एवं विविध स्वरूप है**''।

  प्रस्तुत उपकल्पना के आधार पर शोधार्थी द्वारा किए गए शोध का परिणाम निम्नलिखित है–

1. कुल दलित महिला में से ज्यादातर 72.30%उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग तीन–चौथाई है, कहा कि उन्होने हिंसा शब्द सुना है तथा इन महिलाओं में आजमगढ़ की अपेक्षा लखनऊ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है (सारणी 4.1)।
2. कुल दलित महिला में से ज्यादातर 56.3%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ हिंसा हुयी है तथा इन महिलाओं में आजमगढ़ की अपेक्षा लखनऊ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है (सारणी 4.2)।
3. कुल दलित महिला में से ज्यादातर 28.7%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ उपर्युक्त में से सभी प्रकार (मौखिक, शारीरिक, यौन, मानसिक आदि) की हिंसा हुयी है तथा इन महिलाओं में लखनऊ की अपेक्षा आजमगढ़ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है(सारणी 4.3)।
4. कुल दलित महिला उत्तरदाताओं के साथ मौखिक हिंसा की घटनाओं में ज्यादातर 26.7%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ उपर्युक्त में से सभी

प्रकार की हिंसा हुयी है तथा इन महिलाओं में लखनऊ की अपेक्षा आजमगढ़ जिले की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है (सारणी 4.4)।

5. कुल दलित महिला उत्तरदाताओं के साथ शारीरिक हिंसा की घटनाओं में ज्यादातर 36.3%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ उपर्युक्त में से सभी प्रकार की हिंसा हुयी तथा इन महिलाओं में लखनऊ की अपेक्षा आजमगढ़ की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है(सारणी 4.5)।
6. कुल दलित महिला उत्तरदाताओं के साथ यौन हिंसा की घटनाओं में ज्यादातर 46.7%उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तथा इन महिलाओं में लखनऊ की अपेक्षा आजमगढ़ की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है (सारणी 4.6)।
7. कुल दलित महिला उत्तरदाताओं में से ज्यादातर 37.0%दलित महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि मानसिक हिंसा की सभी प्रकार की घटनाएं उनके साथ हुयी है जिनमें लखनऊ जिले की अपेक्षा आजमगढ़ जिले की दलित महिला उत्तरदाताओं की संख्या अधिक हैं(सारणी 4.7)।

इस शोध अध्ययन का दूसरी उपकल्पना है''**दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के परिमाण की अधिकता जाति, वर्ग और पितृसत्ता के अंतःविभाजन के कारण है**''।

उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए सुझाव :

(I). दलित महिलाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिएं।

(II).दलित महिलाओं की शिक्षा ज्ञानपरक के साथ –साथ व्यवसायिक होनी चाहिए।

(III).दलित महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए।

(IV). दलित महिलाओं को हिंसा को रोकने के लिए पुलिस द्वारा उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिएं तथा पुलिस को हिंसा की रिपोर्ट को दर्ज करना चाहिएं।

(V). दलित महिलाओं के प्रति हिंसा विशेष रूप से मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा को रोकने तथा हिंसा की रोकथाम के लिए बनाएं गएं कानूनों का क्रियान्वयन करना चाहिएं।

शोधार्थी द्वारा दिए गए सुझाव :

(I) विशेष रूप से जाति–आधारित भेदभाव से प्रभावित दलित महिलाएं और लड़कियां विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और दंडात्मक कार्रवाई के प्रति संवेदनशील हैं। इन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने और न्याय तक पहुंच में दण्ड से मुक्ति और भेदभाव से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए। इस तरह के उपायों में पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण और निगरानी, अपराधों के अभियोजन के लिए कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य रूपों के प्रति कानूनों को मजबूत करना, शोषण को रोकने में मदद करने के लिए जागरूकता अभियान और जाति से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा में संसाधनों का निवेश शामिल हो सकता है।

(II) राज्य सरकार को जाति–प्रभावित क्षेत्रों की दलित महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए नीतियां, कानून और कार्यक्रम तैयार करने में नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

(III) कानूनी और संरचनात्मक तंत्र तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं जब लोगों के दृष्टिकोण और धारणा को बदल दिया जाए तथा दलित महिलाओं को इन कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को इस तरह के बदलाव को सक्षम करने के प्रयासों को मिलाना चाहिए और कानूनी और अन्य वैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा या उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

(IV) हिंसा और अत्याचार के शिकार लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अदालती सुनवाई समयबद्ध होनी चाहिए।

(V) दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को मिलकर कानूनों का निर्माण करना चाहिए।

(VI) कानूनों का निर्माण करने के साथ–साथ उनका सही तरीको से क्रियान्वयन करना चाहिएं।

(VII) दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए दलित महिलाओं को हिंसा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना चाहिएं।

(VIII) दलित महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके लिए आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और उनका बड़े स्तर पर क्रियान्वयन करना चाहिए।

(IX) कार्यस्थल पर दलित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनो का निर्माण करना चाहिए और एक विशेष एस0सी0 शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए जोकि दलित महिलाओं के प्रति हिंसा के संवेदनशील मामलों की जाँच और अपराधियों को दण्ड दे सके।

(X) दलित महिलाओं की शिक्षित करने के लिए मुफत शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।